न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/24/2020	2020/00044	25/02/2020	23.2.2021

1. रिलाईन्स होम फाईनेन्स लिमिटेड़, रजिस्टर्ड ऑफिस रिलाईन्स सेन्टर साउथ विंग, छठी मंजील वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, सान्ताक्रुज (ईस्ट) मुम्बई–400025,

प्रार्थी

बनाम

1. एम.जी.आई. इन्फाटेक प्रा0लि0, पता–फ्लैट नं0 बी–36, सिट्स अपार्टमेन्ट वसून्धरा इन्क्लेव दिल्ली भजनपुरा–110053
   दुसरा पता–संस्कार रेजिडेन्सी खसरा नं0–193, 191, 509/204, 510/205, ग्राम चावन्डी, खुर्द, भिवाड़ी रोड़ तहसील तिजारा, जिला अलवर आदर्श कॉलोनी 301411
2. इशान भटनागर, पता– 504 टावर7, यूनीवर्ल्ड गार्डन, सोना रोड़ सुभाष चौक, सैक्टर–47 गुडगांव, हरियाणा, सैक्टर–49, गुडगांव–122001
   दुसरा पताः–संस्कार रेजिडेन्सी खसरा नं0–193, 191, 509/204, 510/205, ग्राम चावन्डी, खुर्द, भिवाड़ी रोड़ तहसील तिजारा, जिला अलवर आदर्श कॉलोनी 301411
3. **गोपाल कुकरेजा, पता–804 ऑनियक्स टावर, क्रीति अपार्टमेन्ट जीएच–25 सैक्टर 210, फरीदाबाद, हरियाणा, सैक्टर–21–121001**
   दुसरा पताः–संस्कार रेजिडेन्सी खसरा नं0–193, 191, 509/204, 510/205, ग्राम चावन्डी, खुर्द, भिवाड़ी रोड़ तहसील तिजारा, जिला अलवर आदर्श कॉलोनी 301411
4. **अनुज डांग, पता–804, ऑनियक्स टावर, क्रीति अपार्टमेन्ट जीएच–25 सैक्टर 210, फरीदाबाद, हरियाणा, सैक्टर–21–121001**
   दुसरा पताः–संस्कार रेजिडेन्सी खसरा नं0–193, 191, 509/204, 510/205, ग्राम चावन्डी, खुर्द, भिवाड़ी रोड़ तहसील तिजारा, जिला अलवर आदर्श कॉलोनी 301411
5. **मेगा काउन्ट्स टाउनशिप प्रा0लि0 पता– 836 एस.एफ. सिटी अपार्टमेन्ट वसून्धरा इनक्लेव दिल्ली, भजनपुरा–110053**
   दुसरा पताः–संस्कार रेजिडेन्सी खसरा नं0–193, 191, 509/204, 510/205, ग्राम चावन्डी, खुर्द, भिवाड़ी रोड़ तहसील तिजारा, जिला अलवर आदर्श कॉलोनी 301411

अप्रार्थीगण/ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 7,00,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 22.01.2018 तथा 1,00,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 22.01.2018 को उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की **संस्कार रेजिडेन्सी खसरा नं0–193, 191,**

जिला कलक्टर, अलवर

509/204, 510/205, ग्राम चावन्डी, खुर्द, भिवाड़ी रोड़ तहसील तिजारा, जिला अलवर आदर्श कॉलोनी 301411रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तो के मुताविक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त ***संस्कार रेजिडेन्सी खसरा नं0—193, 191, 509/204, 510/205, ग्राम चावन्डी, खुर्द, भिवाड़ी रोड़ तहसील तिजारा, जिला अलवर आदर्श कॉलोनी 301411,*** को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते हैः—

2. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
3. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा—31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर, अलवर
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर